संख्या-83/2018/111रासनि/23-1-18-338रासनि/16

प्रेषक,

डा0 राज शेखर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 19 फरवरी, 2018**

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद शाहजहांपुर में 03 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्य हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

http://shasanadesh.up.nic.in

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), कार्यालय प्रमुख अभियंता(यातायात वर्ग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-2704सी/191सी/3054-मांग/17-18, दिनांक 15.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-530/16/618रासनि/23-1-16-338रासनि/16, दिनांक 03.06.16 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित विवरणानुसार **जनपद शाहजहांपुर में 03 मार्गों के स्वीकृत** एवं चालू कार्य हेतु अवशेष धनराशि **रू0 1,94,75,000/- (रूपये एक करोड़ चौरानबे लाख पचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/आवंटित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम सं0	जनपद शाहजहॉपुर मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटित धनराशि	कुल अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	अजीजगंज भरगवां चौहनापुर मार्ग((अ0जि0मा0)	204.65	153.32	51.33	51.33
2	चौहनापुर कॉट कुर्रियाकला मदनापुर विक्रमपुर गढ़िया छवि मार्ग (कलान से परौर मार्ग)(अ0जि0मा0)	346.70	259.35	87.35	87.35
3	फतेहगंज दातागंज से खेड़ा बझेड़ा गढ़िया रंगीन खमरिया मार्ग(अ0जि0मा0)	224.13	168.06	56.07	56.07
	योग				**194.75**

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय, कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क

निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(3) राज्य सड़क निधि हेतु गठित प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृति/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रायोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है।

(4) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(5) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) प्रश्नगत स्वीकृत कार्यों हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय प्रथमत: चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक** "**3054**-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा और अन्तत: लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण (8225)-29-अनुरक्षण" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(डा0 राज शेखर)
विशेष सचिव ।

संख्या- रासनि(1)/23-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, शाहजहांपुर।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, बरेली क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बरेली।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in